न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./02/2021/बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. भागीरथ पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी गडरा खिचडान तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

1.भीखाराम पुत्र भभूताराम

2.भभूताराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी गडरा खिचड़ान तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

3.प्रबंधक एस.बी.आई.बैंक शाखा धौरीमन्ना

4.तहसीलदार धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 65/2020 बअनवान भीखाराम वगै. बनाम भागीरथ वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.12.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भाखरराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 12.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 02 ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की ग्राम गडरा खिचड़ान में खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 313 रकबा 06.05 बीघा व खसरा संख्या 313 रकवा 0.07 बीघा गैर मुमकिन ढाणी आई हुई है जिसमें आने जाने के लिए पाड़ोसी खातेदारान भागीरथ पुत्र रामूराम व वरजू पत्नी रामूराम के खेत खसरा नम्बर 313/1 रकवा 03 बीघा में से नया मार्ग खुलवाना चाहते है जिसके संलग्न नजरिया नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल से दर्शाया गया है। अपीलार्थी अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के उपरोक्त प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयक के समक्ष जवाव प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आलोच्य पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं चलता है जो प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी में गलत बताया गया है तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2020 एकपक्षीय बिना अप्रार्थी को सूचना दिये बनाई गई जिस पर अपीलार्थी को उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है तथा अपीलाधीन आलोच्य आदेश उक्त मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता नें बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण येन केन प्रकरेण रेस्पोडेंट को मिले रास्ते से वंचित करना चाहते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होता है। मौका फर्द दिनांक 09.09.2020 में स्पष्ट किया गया है कि संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल मुजब मौजा गडरा खिचड़ान के खसरा नं. 313/1 में से रास्ता दिया जाना ही एकमात्र विकल्प है। कटाण मार्ग से ख.नं. 313 रकबा 06.05 बीघा में पहुंचने का दुसरा कोई विकल्प नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 65/2020 बअनवान भीखाराम वगै. बनाम भागीरथ वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.12.2020 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर